



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329

फोन नं. 01425-254022 (का.), ई-मेल: dean.skncoa@sknau.ac.in

वेबसाइट: https://skncoa.sknau.ac.in



डॉ. डी. के. गोठवाल

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

क्रमांक: एफ.()/केन्द्रीय भण्डार/श्रीकनकृमवि/2025/2021

दिनांक: 23.12.2025

M/s Ravi International

Balti Factory 7 K.M. N. H. 21

Jamdoli, Agra Road

Jaipur (Raj.)

Email: raviinternational248@gmail.com

कार्य आदेश

विषय: फर्नीचर सामान की आपूर्ति बाबत

संदर्भ: ई-बिड क्रमांक: No. F. ()/CS/SKNCOA/2025/1330, Dated: 24/09/2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपकी फर्म की फर्नीचर की आपूर्ति की दरें कम पाई जाने एवं ई-बिड हेतु गठित उपापन समिति की सिफारिश एवं अधिष्ठाता द्वारा दर अनुमोदन उपरांत आपको निम्नानुसार दरों पर श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में महाविद्यालय ई-बिड की शर्तों के अनुसार फर्नीचर की आपूर्ति का कार्यादेश दिया जाता है:-

S. No.	Name of item with details	Item Code	Quantity	Rate/Item without GST (Rs.)	Total amount with GST 18% (Rs.)
01	Almirah (Small)	07	03 Nos.	7400.00	26196.00
02	Computer Cubical Table (20 Seater)	09	01 Set	84100.00	99238.00
03	Student Chair	12	50 Nos.	1950.00	115050.00
04	Seminar Hall Chair	13	140 Nos.	2750.00	454300.00
05	Center Table	14	08 Nos.	7450.00	70328.00
Grand Total					7,65,112.00

- ई-बिड की सभी शर्तों के साथ RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 पूर्ण रूप से लागू होकर ई-बिड के अनुसार RTPP नियम 2013 का नियम 29 (ज) आप पर पूर्वतया प्रभावी रहेगा। महाविद्यालय में सामग्री आपूर्ति का कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- फर्म को निर्देश दिया जाता है कि वह 2 प्रतिशत जमा धरोहर राशि को समायोजित करते हुए कुल 5 प्रतिशत परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के तौर पर अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम पर 1,50,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करें साथ ही 500.00 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक एग्रीमेंट जमा करावें। यह दिनांक 29.12.2025 तक जमा अनिवार्य रूप से करना होगा। उसके पश्चात् सेम्पल स्वीकृत हुई मापदण्ड के अनुसार फर्नीचर आपूर्ति करना होगा। सभी नियम व शर्तें ई-बिड के अनुसार होंगी।

1.	माल की आपूर्ति का कार्य	कार्य आदेश की दिनांक से 45 दिवस में
2.	बिल:	अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम से

शास्ति: विलंब से आपूर्ति पर निम्न प्रकार से शास्ति वसूली जायेगी:

Penalty: Penalty will be collected on late supply in the following manner:


अ.	निर्धारित अवधि से 1/4 अवधि विलम्ब पर Delay up to one-fourth period of the prescribed Delivery Period	2.5%
ब.	1/4 अवधि से अधिक आधी अवधि तक विलम्ब पर Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribe Delivery Period	05%
स.	1/2 अवधि से अधिक तीन चौथाई तक अवधि तक विलम्ब पर Delay exceeding half but not exceeding three-fourth of the prescribe Delivery Period	7.5%
द.	3/4 अवधि से अधिक विलम्ब होने पर Delay exceeding three-fourth of the prescribed period	10%



अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. श्रीमान आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
5. श्रीमान अनुभाग अधिकारी, लेखा शाखा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
6. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि इस ई-बिड कार्यादेश को विश्वविद्यालय वेबसाइट, www.sppp.rajasthan.gov.in & <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड कराने का श्रम करें।
7. प्रभारी केन्द्रीय भण्डार, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
8. रक्षित पत्रावली



प्रभारी, केन्द्रीय भण्डार